बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

आ0 संख्या–6 / स्था0 अन्य–98 / 11– 470 कृ0, पटना, दिनांक 1 मई, 2015

कार्यालय आदेश

राज्य में ओलावृष्टि से हुए फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान वितरण कार्य की जिलावार उच्चस्तरीय समीक्षा दिनांक 30.04.2015 को की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कटिहार, पूर्वी चम्पारण, सारण, सीवान, गोपालगंज एवं पटना जिला में कृषकों की सूची बनाने की कार्रवाई पूर्ण नहीं की गयी है, जिससे कि वितरण कार्य प्रभावित हो रहा है।

उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में ओलावृष्टि से हुए फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान 10 दिनों के अंदर पूर्ण कर लेने की समय–सीमा दी गयी है। कार्य की महत्ता को देखते हुए निम्न प्रकार से पदाधिकारियों को संबंधित जिलें में प्रतिनियुक्त किया जाता है :–

क्र0	पदाधिकारियों का नाम / पदनाम	प्रतिनियुक्त जिला
1	श्री सुनील कुमार पंकज, संयुक्त निदेशक (शष्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)
2	श्री गुलाब यादव, संयुक्त निदेशक (शष्य), पूर्णियां	कटिहार
3	श्री विजेन्द्र चौधरी, संयुक्त निदेशक (शष्य), सारण प्रमंडल, छपरा	सारण (छपरा)
4	श्री बैंकटेश नारायण सिंह, संयुक्त निदेशक (शष्य), पटना प्रमंडल, पटना	पटना
5	श्री अरूण कुमार, संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना	गोपालगंज
6	श्री प्रभात कुमार, संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना	सीवान

प्रतिनियुक्त पदाधिकारी संबंधित जिलें में जाकर कैम्प करेंगे तथा निर्धारित समय–सीमा के भीतर कृषि इनपुट अनुदान वितरण हेतु प्रभावित कृषकों की सूची तैयार कराकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुदान वितरण सुनिश्चित कराएंगे। संबंधित जिलों के जिला कृषि पदाधिकारी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करेंगे।

आदेश दिया जाता है कि प्रतिनियुक्त पदाधिकारी आज ही संबंधित जिलें में पहुँचकर संबंधित जिला पदाधिकारी को प्रतिवेदित करेंगे तथा समय–सीमा के भीतर आवंटित कार्य को पूर्ण करेंगे।

2. प्रस्ताव में विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

01/5/2015

(रामजी सिंह)
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 470 कृ0, पटना दिनांक 1 मई, 2015

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/ 01/5/2015

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 470 कृ0, पटना दिनांक 1 मई, 2015

प्रतिलिपि :– संबंधित जिला पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी/प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/ 01/5/2015

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 470 कृ0, पटना दिनांक 1 मई, 2015

प्रतिलिपि :– कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/ 01/5/2015

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।